न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 251 सन 2019

अनवान :–

1. टिकूराम पुत्र रेवन्ताराम जाति मेधवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. कुरडाराम पुत्र रेवन्ताराम जाति मेधवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
2. नौरगलाल पुत्र रेवन्ताराम जाति मेधवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
3. बादो पुत्री रेवन्ताराम जाति मेधवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर
4. सरस्वती पुत्री रेवन्ताराम जाति मेधवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
5. सावित्री पुत्री स्व सोनादेवी पुत्री रेवन्ताराम जाति मेधवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. प्रमेश्वरी पुत्री स्व सोनादेवी पुत्री रेवन्ताराम जाति मेधवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
7. पारीदेवी पुत्री स्व सोनादेवी पुत्री रेवन्ताराम जाति मेधवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
8. गुडी पुत्री स्व सोनादेवी पुत्री रेवन्ताराम जाति मेधवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
9. पप्पा पुत्री स्व सोनादेवी पुत्री रेवन्ताराम जाति मेधवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
10. रामप्यारी पुत्री स्व सोनादेवी पुत्री रेवन्ताराम जाति मेधवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
11. भगवती पुत्री स्व सोनादेवी पुत्री रेवन्ताराम जाति मेधवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
12. लाली पुत्री स्व सोनादेवी पुत्री रेवन्ताराम जाति मेधवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
13. महेश पुत्र स्व सोनादेवी पुत्री रेवन्ताराम जाति मेधवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 05/02/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा डुमासर के खाता संख्या 97/101 की कुल 13.4670हैक में से 1/2 हिस्साव रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 109/216 की कुल 4.0340हैक व रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 35/34 की कुल 30.6510हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि वादी के पिता रेवन्ताराम पुत्र जगराम के नाम से दर्ज है वादी के पिता रेवन्ताराम पुत्र जगराम वं माता पुरा पत्नी रेवन्ताराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया है जिसमें से रेवन्ताराम की एक पुत्री सोना पुत्री रेवन्ताराम, बादो पुत्री रेवन्ताराम के देहान्त होने के कारण उसके वारिसान है अर्थात रेवन्ताराम पुत्र जगराम के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी सख्या 1 ता 13 व बादो पुत्र रेवन्ताराम के वारिसान है अर्थात वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 4 ता 13 एवं बादो के वारिसान है जो रेवन्ताराम पुत्र जगराम की भूमि पाने के अधिकारी हे अर्थात वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 4 ता 13 एवं वादो के वारिसान के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी संख्या 3 बादो के वारिसान 3/1 से 3/5 एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 13 सोनादेवी के वारिसान है एवं प्रतिवादी संख्या 4 वादी की बहन है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3/1 से 3/5 एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 13 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1, 2,3/1 से 3/5 ता 13 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वादी के पिता रेवाताराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या1, 2, 3/1 से 3/5 ता 13 है जो रेवन्ताराम की भूमि विरास्तन से प्राप्त करने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 3/1 से 3/5 एवं 4 ता 13 ने निवेदन किया की ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम उनक बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा डुमासर के खाता संख्या 97/101 की कुल 13.4670हैक में से 1/2 हिस्साव रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 109/216 की कुल 4.0340हैक व रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 35/34 की कुल 30.6510हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि वादी के पिता रेवन्ताराम पुत्र जगराम के नाम से दर्ज है वादी के पिता रेवन्ताराम पुत्र जगराम वं माता पुरा पत्नी रेवन्ताराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया है जिसमें से रेवन्ताराम की एक पुत्री सोना पुत्री रेवन्ताराम, बादो पुत्री रेवन्ताराम के देहान्त होने के कारण उसके वारिसान है अर्थात रेवन्ताराम पुत्र जगराम के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी सख्या 1 ता 13 व बादो पुत्र रेवन्ताराम के वारिसान है अर्थात वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 4 ता 13 एवं बादो के वारिसान है जो रेवन्ताराम पुत्र जगराम की भूमि पाने के अधिकारी हे अर्थात वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 4 ता 13 एवं वादो के वारिसान के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 3 बादो के वारिसान 3/1 से 3/5 एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 13 सोनादेवी के वारिसान है एवं प्रतिवादी संख्या 4 वादी की बहन है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3/1 से 3/5 एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 13 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा डुमासर के खाता संख्या 97/101 की कुल 13.4670हैक में से 1/2 हिस्साव रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 109/216 की कुल 4.0340हैक व रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 35/34 की कुल 30.6510हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वादी के पिता रेवन्ताराम पुत्र जगराम के नाम से दर्ज है वादी के पिता रेवन्ताराम पुत्र जगराम वं माता पुरा पत्नी रेवन्ताराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया है जिसमें से रेवन्ताराम की एक पुत्री सोना पुत्री रेवन्ताराम, बादो पुत्री रेवन्ताराम के देहान्त होने के कारण उसके वारिसान है अर्थात रेवन्ताराम पुत्र जगराम के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी सख्या 1 ता 13 व बादो पुत्र रेवन्ताराम के वारिसान है अर्थात वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 4 ता 13 एवं बादो के वारिसान है जो रेवन्ताराम पुत्र जगराम की भूमि पाने के अधिकारी हे अर्थात वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 4 ता 13 एवं वादो के वारिसान के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3/1 से 3/5 व 4 ता 13 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3/1 से 3/5 व 4 ता 13 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 3/1 ता 13 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा डुमासर के खाता संख्या 97/101 की कुल 13.4670हैक में से सयुक्त तौर से 1/2 हिस्सा में वादी अकेला 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/6 हिस्सा व रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 109/216 की कुल 4.0340हैक में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तीनों बहिब एवं रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 35/34 की कुल 30.6510हैक में से 7.6628हैक भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है मृतक रेवताराम व पुरा का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 05/02/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. टिकूराम पुत्र रेवन्ताराम जाति मेधवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 कुरडाराम पुत्र रेवन्ताराम जाति मेधवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
2. नौरगलाल पुत्र रेवन्ताराम जाति मेधवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
3. बादो पुत्री रेवन्ताराम जाति मेधवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर
4. सरस्वती पुत्री रेवन्ताराम जाति मेधवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
5. सावित्री पुत्री स्व सोनादेवी पुत्री रेवन्ताराम जाति मेधवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. प्रमेश्वरी पुत्री स्व सोनादेवी पुत्री रेवन्ताराम जाति मेधवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
7. पारीदेवी पुत्री स्व सोनादेवी पुत्री रेवन्ताराम जाति मेधवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
8. गुडी पुत्री स्व सोनादेवी पुत्री रेवन्ताराम जाति मेधवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
9. पप्पा पुत्री स्व सोनादेवी पुत्री रेवन्ताराम जाति मेधवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
10. रामप्यारी पुत्री स्व सोनादेवी पुत्री रेवन्ताराम जाति मेधवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
11. भगवती पुत्री स्व सोनादेवी पुत्री रेवन्ताराम जाति मेधवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
12. लाली पुत्री स्व सोनादेवी पुत्री रेवन्ताराम जाति मेधवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
13. महेश पुत्र स्व सोनादेवी पुत्री रेवन्ताराम जाति मेधवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 251 सन 2019 निर्णय दिनांक– 05/02/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा डुमासर के खाता संख्या 97/101 की कुल 13.4670हैक में से सयुक्त तौर से 1/2 हिस्सा में वादी अकेला 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/6 हिस्सा व रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 109/216 की कुल 4.0340हैक में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तीनों बहिब एवं रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 35/34 की कुल 30.6510हैक में से 7.6628हैक भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है मृतक रेवताराम व पुरा का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 05/02/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

संशोधित पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. टिकूराम पुत्र रेवन्ताराम जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. कुरडाराम पुत्र रेवन्ताराम जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
2. नौरगलाल पुत्र रेवन्ताराम जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
3. बादो पुत्री रेवन्ताराम जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर
4. सरस्वती पुत्री रेवन्ताराम जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
5. सावित्री पुत्री स्व सोनादेवी पुत्री रेवन्ताराम जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. प्रमेश्वरी पुत्री स्व सोनादेवी पुत्री रेवन्ताराम जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
7. पारीदेवी पुत्री स्व सोनादेवी पुत्री रेवन्ताराम जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
8. गुडी पुत्री स्व सोनादेवी पुत्री रेवन्ताराम जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
9. पप्पा पुत्री स्व सोनादेवी पुत्री रेवन्ताराम जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
10. रामप्यारी पुत्री स्व सोनादेवी पुत्री रेवन्ताराम जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
11. भगवती पुत्री स्व सोनादेवी पुत्री रेवन्ताराम जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
12. लाली पुत्री स्व सोनादेवी पुत्री रेवन्ताराम जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
13. महेश पुत्र स्व सोनादेवी पुत्री रेवन्ताराम जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 251 सन 2019 निर्णय दिनांक– 5/2/2021

आज यह प्रार्थना पत्र 151–152 सीपीसी मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र व साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाकर पूर्व डिक्री दिनांक 05.02.2021 में प्रतिवादी संख्या 13 का नाम महेश कुमार अंकित है के स्थान पर रमेश संशोधन किया जाता है शेष डिक्री यथावत रहेगी व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

संशोधित पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/6/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner